संख्या-23/2021/1/77657/2021/71-4099/67/2021-4

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक 08 जुलाई, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न सूची के उपकरणों के क्रय किये जाने हेतु रू0 13,80,84,000.00/- लाख (रूपया तेरह करोड़ अस्सी लाख चौरासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0आई0एम0एस0/2021/1165, दिनांक 30.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कासना, ग्रेटर नोएडा में विभिन्न विभागों में उपकरणों के क्रय हेतु मानक मद-26 मशीने सज्जा/उपकरण संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 13,80,84,000.00/- लाख (रूपया तेरह करोड़ अस्सी लाख चौरासी हजार मात्र) के उपकरण क्रय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कासना, ग्रेटर नोएडा हेतु मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न सूची के उपकरणों की क्रय किये जाने हेतु रू0 13,80,84,000.00/- लाख (रूपया तेरह करोड़ अस्सी लाख चौरासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही संबंधित उपकरणों के नियमानुसार पारदर्शितापूर्वक क्रय की कार्यवाही संस्थान स्तर से की जाएगी। सुसंगत

वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना निदेशक एवं वित्त अधिकारी का दायित्व होगा।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरण क्रय संबंधी औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाय।
3. स्वीकृत धनराशि को पी0 एल0 ए0/ बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नही रखा जायेगा।
4. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपलान किया जायेगा।
5. प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक/वित्त अधिकारी/संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।
6. उपकरणों का क्रय वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड- 5 भाग- 1 उ 0 प्र 0 प्रक्योरमेन्ट मैनुअल एवं उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले क्रय संबंधी आदेशों में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा , इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता का द्योतक होगा। भण्डार क्रय संबंधी नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा की इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध हैं।
8. उपकरणों का क्रय प्रक्रिया में ई-प्रक्योरमेन्ट/ई-टेन्डरिंग प्रणाली से संबंधित शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. क्रय किये जाने वाले उपकरण चिकित्सा शिक्षा अनुभाग- 1 द्वारा निर्गत उपकरणों के क्रय संबंधी शासनादेशों के अनुसार ही क्रय किये जायेगें, जो विभाग की आवश्यकता एवं एम0 सी0 आई0/एन0एम0सी0 के मानक के अनुसार होगें।
10. उपकरणों के क्रय पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय नही किया जायेगा। यदि धनराशि की बचत होती है , तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने वाले अन्य उपकरणों के क्रय में समायोजित किया जायेगा।
11. क्रय किये जाने वाले उपकरणों की वित्तीय स्वीकृति का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/उपकरण की स्थापना की सूचना सहित) यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों,

गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा की होगी।

13. धनराशि को व्यय किये जाने के पूर्व वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा द्वारा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2021-22 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा शीर्षक "4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-ऐलोपैथी-14-राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
6. संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी (बजट) चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।